भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3958
जिसका उत्तर 19.12.2024 को दिया जाना है
राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक बस कार्यक्रम

3958. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन:
क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या 'कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड' (सीईएसएल) को नीति आयोग और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय विद्युत बस कार्यक्रम (एनईबीपी) के अंतर्गत 50,000 इलेक्ट्रिक वाहनों की तैनाती करने का अधिदेश दिया गया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में राज्यवार कितनी इलेक्ट्रिक बसें हैं;
(ग) क्या केन्द्र सरकार ने विश्व के सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बस संचालक अर्थात् तमिलनाडु 'स्टेट ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन' (टीएनएसटीसी) को कोई वित्तीय सहायता आवंटित की है, जो प्रतिदिन 20,258 डीजल बसें चलाता है और प्रतिदिन 18 मिलियन यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत पांच वर्षों के दौरान कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) नीति आयोग ने दिनांक 13.05.2022 के पत्र के माध्यम से कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) से 50,000 ई-बसों की समग्र मांग के लिए कार्यक्रम प्रबंधक की भूमिका निभाने का अनुरोध किया है।

(ख) 16.12.2024 तक **वाहन** पोर्टल के अनुसार इलेक्ट्रिक बसों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में संलग्न है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने "पीएम-ई-बस सेवा" और "पीएम ई-ड्राइव" जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। राज्य परिवहन निगम सहायता के लिए संबंधित विभागों को प्रस्ताव भेज सकते हैं। पिछले पांच वर्षों में तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम को वित्तीय सहायता के रूप में कोई निधि आवंटित नहीं की गई है।

'राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक बस कार्यक्रम' के संबंध में डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन द्वारा 19 दिसंबर, 2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3958 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विशुद्ध इलेक्ट्रिक बसें	मजबूत हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बसें	कुल योग
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	40	-	40
आंध्र प्रदेश	140	37	177
असम	233	-	233
बिहार	27	3	30
चंडीगढ़	81	-	81
छत्तीसगढ़	4	73	77
दिल्ली	2,564	-	2,564
गोवा	153	-	153
गुजरात	896	2	898
हरियाणा	28	4	32
हिमाचल प्रदेश	123	-	123
जम्मू और कश्मीर	243	-	243
झारखंड	7	17	24
कर्नाटक	1,487	202	1,689
केरल	205	-	205
लद्दाख	19	-	19
मध्य प्रदेश	164	46	210

महाराष्ट्र	2,496	9	2,505
मणिपुर	1	-	1
मिजोरम	1	-	1
ओडिशा	178	35	213
पुदुचेरी	22	-	22
पंजाब	17	2	19
राजस्थान	19	8	27
सिक्किम	-	2	2
तमिलनाडु	153	-	153
दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप संघ के राज्य क्षेत्र	25	-	25
उत्तर प्रदेश	771	25	796
उत्तराखंड	40	2	42
पश्चिम बंगाल	189	77	266
कुल योग	10,326	544	10,870

उपर्युक्त आंकड़ों में वाहनों की श्रेणी में बसें, ओमनी बसें और शैक्षिक संस्थान की बसें शामिल हैं।

दिए गए विवरण केन्द्रीयकृत वाहन 4 के अनुसार डिजिटलीकृत वाहन रिकॉर्ड के लिए हैं।

तेलंगाना और लक्षद्वीप के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं क्योंकि वे केन्द्रीयकृत वाहन 4 में शामिल नहीं हैं।

*****